

भारत सरकार  
श्रम और रोजगार मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3090  
सोमवार, 20 मार्च, 2023/29 फाल्गुन, 1944 (शक)

राष्ट्रीय रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार युवा

3090. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को देशभर में राष्ट्रीय रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार युवाओं की संख्या की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार का देश में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार अवसर सृजित करने हेतु रोजगार सृजन और नियोजन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में राष्ट्रीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से चयन सूची का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार को देश में बेरोजगारी के बढ़ते अनुपात की जानकारी है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री  
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): राज्य/केंद्र शासित राज्यों से प्राप्त सूचना के आधार पर, उन रोजगार चाहने वालों (नियोजित/बेरोजगार) जिन्होंने अपने को वर्ष 2022 के दौरान रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत कराया था, की संख्या 39.97 लाख थी।

उन रोजगार चाहने वालों (नियोजित/बेरोजगार) जिन्होंने अपने को वर्ष 2022 में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत कराया था, की संख्या का राज्य/केंद्र शासित राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध पर है।

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से उम्मीदवारों की चयन सूची केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े संग्रह किए जाते हैं। सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2019-20, 2020-21 और वर्ष 2021-22 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के अनुमानित बेरोजगारी दर क्रमशः 4.8%, 4.2% और 4.1% थी।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

अवसंरचना और उत्पादक क्षमता में निवेश से विकास और रोजगार पर बड़ा गुणक प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2023-24 के बजट में, पूंजी निवेश परिव्यय को लगातार तीसरे वर्ष 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा। हाल के वर्षों में यह अत्याधिक वृद्धि, सरकार के विकास क्षमता और रोजगार सृजन बढ़ाने के प्रयासों में केंद्रित है।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपये से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार का सृजन करने हेतु रोजगार देने वालों को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हुई हानि के प्रतिस्थापन हेतु दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2022 थी। इस योजना के आरंभ से, दिनांक 28.02.2023 तक, इस योजना के तहत 60.31 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड -19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। दिनांक 13.03.2023 तक, इस योजना के तहत 42.21 लाख ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं।

इसके साथ-साथ, युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा इसमें और विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपये तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। दिनांक 24.02.2023 तक 39.65 करोड़ ऋण खाते अनुमोदित किए गए जिसमें से 3.80 करोड़ ऋण खाते उत्तर प्रदेश में अनुमोदित किए गए थे।

वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई हैं, सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीएलआई योजनाओं में 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। यह पहल सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह पहल, स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगे।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम आदि रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही है। सामूहिक रूप से इन सभी पहलों के गुणक-प्रभावों से, मध्यम से दीर्घावधि में रोजगार सृजित होने की आशा है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा के दिनांक 20.03.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3090 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

देश में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत रोजगार चाहने वालों की राज्य / केंद्र शासित राज्यों-वार की संख्या  
(संख्या हजार में)

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित राज्य	2022
1	आंध्र प्रदेश	11.2
2	अरुणाचल प्रदेश	59.0
3	असम	202.6
4	बिहार	222.4
5	छत्तीसगढ़	330.9
6	दिल्ली*	-
7	गोवा	17.2
8	गुजरात	334.1
9	हरियाणा	131.1
10	हिमाचल प्रदेश	50.7
11	जम्मू और कश्मीर	54.2
12	झारखंड	35.6
13	कर्नाटक	57.7
14	केरल	513.6
15	मध्य प्रदेश	2.8
16	महाराष्ट्र	487.4
17	मणिपुर	30.0
18	मेघालय	3.1
19	मिजोरम	8.8
20	नागालैंड	6.6
21	ओडिशा	168.6
22	पंजाब	55.4
23	राजस्थान	156.1
24	तमिलनाडु	484.9
25	तेलंगाना	32.1
26	त्रिपुरा	0.0
27	उत्तराखंड	108.8
28	उत्तर प्रदेश	400.8
29	पश्चिम बंगाल*	-
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	14.4
31	चंडीगढ़	1.4
32	दादरा एवं नगर हवेली *	-
33	दमन और दीव *	-
34	लक्षद्वीप *	-
35	पुडुचेरी	14.5
36	लद्दाख	0.7
	<b>योग</b>	<b>3996.7</b>

स्रोत: रोजगार कार्यालय सांख्यिकी, रोजगार महानिदेशालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

नोट: हो सकता है पूर्वांकन के कारण कुल योग आंकड़ों से मेल नहीं खाता हो। \*: राज्यों/केंद्र शासित राज्यों की सरकारों से आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।